प्रकरण संख्या 91/2021 शोभा बनाम मेगा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी नंबर 104 से 111, 184 से 187 कुल किता 12 रकबा 0.8200 हैक्टर राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित हैं, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी उदा भील के नाम दर्ज है, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। वाद वर्णित भूमि वादी एवं उदा भील के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा इसी अनुसार वादी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वादी का आराजी नंबर 104 से 107 एवं 186 व 187 किता 6 रकबा 0.4150 हैक्टर भूमि पर कब्जा चला आ रहा है, शेष आराजियात पर उदा के वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा वाद वर्णित आराजी नंबर 104 से 107 एवं 186 व 187 किता 6 रकबा 0.4150 हैक्टर भूमि वादी के स्वतंत्र खाते में दर्ज करायी जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि में वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही कब्जा है। अतः वादीगण बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2019 से वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 09.12.2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 06.12.2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री सुनील शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोरोना महामारी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.10.2021 तक के सम्पूर्ण प्रकरणों में परिसीमा अवधि बढायी गयी थी। इसके अलावा अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया [illegible] अखण्डित शपथ [illegible] प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित [illegible] जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने [illegible]वेदन किया कि अ[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 91/2021 शोभा बनाम मेगा

न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को गलत पक्षकार बनाया गया है इसलिए इन दोनों पक्षकार की जगह तथाकथित अपीलान्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गयी वही वास्तविक नाम है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति के कारण वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को पक्षकार बनाया गया है। वादी ने उदा के वारिस 3 पुत्रियां लोगरी, धापू व लक्ष्मी तथा उसकी पत्नी लेहरीबाई एवं एक मात्र पंत्र भगवतीलाल भील था, लेकिन वादी ने टंकण त्रुटि से प्रतिवादी संख्या 5 पुष्पा पुत्री भगवानलाल एवं प्रतिवादी संख्या 6 राजुड़ी को संयोजित किया वह राजकुमारी पुत्री भगवतीलाल भील है, जिस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का प्रमाणित सजरा प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के स्थान पर अपीलान्ट का नाम संयोजित किया जावे। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के बंटबारे से कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार संख्या 5 व 6 के रूप में जो गलत नाम अंकित हो गये हैं उसके स्थान पर अपीलान्टगण का नाम संयोजित कर अंतिम डिक्री प्रदान की जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारे की अंतिम डिक्री जारी की गयी है उससे अपीलान्टगण को कोई आपत्ति नहीं है।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील के साथ ग्राम पंचायत रेबारियों का गुड़ा से प्रमाणित सजरा प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार अपीलान्टगण उदा के पुत्र भगवतीलाल की पुत्रियां होना प्रकट होता है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, बल्कि उनके स्थान पर पुष्पा पुत्री भगवानलाल एवं राजुड़ी को पक्षकार बनाया गया है, जिसे अपीलान्ट गलत बताते हैं एवं उनके स्थान पर अपीलान्टगण का नाम संयोजित कराना चाहते हैं एवं इस तथ्य को स्वयं उदा की पुत्री रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित किया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा उक्त तथ्य की जांच कर एवं अपीलान्टगण को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
–प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:48:10 IST
Reason: SelfAttested